फर्द अहकाम

नामान्तरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) रामलाल बनाम हुकमा

नाम न्यायालय

केस संख्या 152/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	6/6/2024	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 का पेश किया किया। सरिश्ता दर्ज हो चुका है वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार स्वीकार किया जाता है अपेक्षित विधि प्रपत्र से निरस्त जाकर अभिलेख पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो बाद तामील दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:55:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 142/2024
निर्णय दिनांक : 06.06.2024

रामलाल पुत्र हरबक्स जाति जाट निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान सहाय चौधरी पुत्र श्री हरबक्स
2. श्योजीराम चौधरी पुत्र श्री हरबक्स समस्त जाति जाट निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु।

प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न0 266 रकबा 0.15 है0, खसरा न० 287/1 रकबा 0.01 है०, खसरा न० 288/1 रकबा 0.06 है०, खसरा न० 269 रकबा 0.12 है०, खसरा न० 270/2 रकबा 0.22 है०, खसरा न0 272/3 रकबा 0.19 है0, खसरा न0 272/4 रकबा 0.07 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.82 है० वाके ग्राम जयसिंहपुरा वास भांकरोटा पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 29.05.2024 श्रीमान तहसीलदार महोदय सांगानेर के आदेश क्रमांक/एलआर/सीमाज्ञान/2024/3138दिनांक 02/05/2024 की पालना में ग्राम जयसिंहपुरा वास भांकरोटा के ख0न0 266 वगैरह किता 7 रकबा 0.82 है0 के मौके पर पहुंचा मौके पर आवेदक खातेदार द्वारा उपलब्ध करवायी गयी ई.टी. एस. मशीन से सीमाज्ञान प्रारम्भ किया। आराजी खसरा नम्बर 245 गै. मु. चाह व खसरा नम्बर 284 का मिलान किया गया जो सही [illegible] गया। इस प्रकार उक्त गै० मु० चाह व गै० मु० चाह 403 को सही मानते हुए आवेदक [illegible] खसरा न० 266, 267/1, 268/1, 269, 270/2,270/3, 272/4 कुल किता 7 बाहरी सीमाओं पर निशानात लगवाये गये जिससे पडोसी खातेदार हनुमान पुत्र हरबक्स श्योजी पुत्र हरबक्स जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जाट उक्त सीमाज्ञान से सहमत नहीं हुए। फर्द मौका तैयार कर उपस्थित के हस्ताक्षर व निशानात करवाए गये। अप्रार्थी सख्या एक व दो पडोस के खातेदार है। जो प्रार्थी की उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करने की कोशिश करते रहते है तथा आये दिन प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करते रहते है। तथा प्रार्थी की भूमि की मेड को तोडकर अपनी भूमि मे मिलाकर उसमे अवैध रूप से कब्जा कर निमार्ण करना चाहते है। जबकि उसको ऐसा करने का कोई कानूनन अधिकार नही है। प्रार्थी की भूमि के पडोसी काश्तकार अप्रार्थी सख्या एक व दो झगडालू किश्म के व्यक्ति है तथा आये दिन सीमा पर हमेशा विवाद करते है इस कारण प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे वो अपनी आराजीयात के चारो तरफ तार बाउण्डरी कर अपनी आराजीयात को सुरक्षित कर सके तथा भविष्य में सीमाज्ञान के लिए पडौसी काश्तकार से किसी प्रकार का विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अन्य किसी दिगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, कानून व्यवस्था का ध्यान में रखते हुऐ अपने स्तर पर टीम गठित कर आश्यकता पडने पर पुलिस इमदार लिया जाकर प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खसरा न0 266 रकबा 0.15 है0, खसरा न० 287/1 रकबा 0.01 है०, खसरा न० 288/1 रकबा 0.06 है०, खसरा न० 269 रकबा 0.12 है०, खसरा न० 270/2 रकबा 0.22 है०, खसरा न0 272/3 रकबा 0.19 है0, खसरा न0 272/4 रकबा 0.07 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.82 है० वाके ग्राम जयसिंहपुरा वास भांकरोटा पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू.अभि.नि. क्षेत्र भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नियमानुसार सूचित कर समस्त उभयपक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार तहसीलदार सांगानेर की सीमाज्ञान मौका–फर्द रिपोर्ट दिनांक 29.05.2024 के अनुसार पुख्ता सीमाचिन्ह्न कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 14:56:56 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),